आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :लालगंज
वाद संख्या :-00016/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202015060400016
आदित्य विक्रम सिंह स्मृति शिक्षक एवं समाज ट्रस्ट बनाम गॉवसभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद आदित्य विक्रम सिंह स्मृति शिक्षक एवं समाज कल्याण टस्ट सरुपहा द्वारा प्रबंधक मधुलिका सिंह पत्नी अनिलकुमार सा0 सरुपहा परगना देवगॉव तहसील लालगंज आजमगढ़ द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 80 रा0सं0 2006 बाबत आ0नं0 34 रकबा 0.471हे0 व आ0 न0 32 रकबा 1.157हे0 दो गाटा रकबा 1.578हे0 में से रकबा 0.907हे0 स्थित मौजा कोटाखुर्द परगना देवगॉव दाखिल हुआ। पत्रावली पर तहसीलदार लालगंज से जॉचकर आख्या मंगाई गई। तहसीदार लालगंज द्वारा मौके की जॉचकर अपनी जॉच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार लालगंज द्वारा अपनी जॉच आख्या दि0 14/12/2019 में उल्लेख किया गया कि आ0नं0 32 रकबा 0.471 हे0 व आ0 न0 34 रकबा 1.157हे0 पर वादी आदित्य विक्रम सिंह स्मृति शिक्षक एवं समाज कल्याण टस्ट सरुपहा द्वारा प्रबंधक मधुलिका सिंह पत्नी अनिलकुमार सा0 सरुपहा आदि के नाम संक्रमणीय भुमिधर अंकित है। वादी द्वारा आ0 ने0 को बैनामा से प्राप्त की गई है। वादी द्वारा उक्त आ0ने0 के रकबा 0.907हे0 में विद्यालय का भवन व चहारदीवारी का निर्माण हो रहा है। जो गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। मौके पर विवादित भूमि जोती बोई नहीं जाती है। इस प्रकार आ0ने0 को अकृषिक भूमि व लगान मुक्त घोषित किए जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित न्यायालय में प्रेषित की गई। सभी खातेदारो द्वारा व्यक्तिगत शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पंजीकृत की गई तथा वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क व उद्घोषण शुल्क 44500 रु0 व मु0 44500रु0 का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया। विवादित आ0ने0 वादी की सहसंक्रमणीय भूमिधरी है।खतौनी में आ0 ने0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है किन्तु मौके पर वादी द्वारा रकबा 0.907 हे0 पर विद्यालय का मकान का निर्माण कराया जा रहा हे। जिसमें विद्यालय संचालित होना है। आ0ने0 मौके पर जोती बोई नहीं जाती है बल्कि मौके पर विद्यालय के रुप में भवन आदि निर्मित है। इस प्रकार तहसीलदार की आख्या स्वीकार कर विवादित आ0ने0 के रकबा 0.907हे0 को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार की जाती है। ग्राम कोटा खुर्द परगना देवगॉव के वर्तमान खतौनी में आ0नं0 32 रकबा 1.157हे0 व आ0 न0 34 रकबा 0.421हे0 कुल दो गाटा रकबा 1.578हे0 में से रकबा 0.907हे0 लगान मु0 22.50 रु0को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नहीं होगा। वाद अनुपालन पत्रावली दा0द0 हो।

28/01/2020

(पंकजकुमार श्रीवास्तव)
उपजिलाधिकारी
लालगंज आजमगढ़।

पृष्ठ संख्या :

TRUE COPY
READER
31-1-20

न्यायालय उपजिलाधिकारी लालगंज आजमगढ़

आदित्य विक्रम सिंह स्मृति शिक्षक एवं समाज ट्रस्ट VS गाँवसभा	मु० नं० T202015060400016 धारा- 80 मौजा- कोटा खुर्द परगना- देवगाँव तहसील- लालगंज जिला- आजमगढ़

नोट- फोटोकॉपी के साथ नकल आदेश दि० 28-02-2020 संलग्न है।